मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

(मंत्रालय)

क्रमांक जी. 25/28/95/सी/चार, भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश .

विषय :--मृत शासकीय सेवकों के अवकाश लेखे में शेष अर्जित अवकाश का नगदीकरण.

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31-1-83 द्वारा निर्णय लिया गया था कि किसी शासकीय सेवक की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने पर, यदि मृत्यु के दिनांक को स्वर्गीय शासकीय सेवक के अवकाश लेखे में अर्जित अवकाश शेष है तो 180 दिनों की सीमा तक उस अर्जित अवकाश के अवकाश वेतन के बराबर नगद धनराशि मृतक शासकीय सेवक के परिवार को भुगतान की जाये. इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 450/1840/87/नि-1/चार, दिनांक 18-8-87 द्वारा अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा 180 दिन से बढ़ाकर 240 दिन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है.

2. इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 8 जनवरी, 1991 द्वारा सेवा निवृत्ति पर अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं. इस निर्देशों के अनुसार सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारी के द्वारा सेवा में लिये गये अवकाश समर्पण के लाभ को कम कर शेष अवकाश के नगदीकरण की गणना की जाना हैं.

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 8-1-91, मृत शासकीय सेवकों के प्रकरण में लागू नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

हस्ता./-
(मिलिन्द वाईकर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. · जी. 25/28/95/सी/चार भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 1995

प्रतिलिपि :--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

9. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
10. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/16, तुलसी नगर, भोपाल.
11. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय, 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
12. प्रमुख महामंत्री, मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय 6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.
13. महामंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल
14. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय 98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
15. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85, तुलसी नगर, भोपाल.
16. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) / (ऑडिट) 1-2 मध्यप्रदेश/ग्वालियर/भोपाल.
18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश.
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.